International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 3; Issue 11; November 2017; Page No. 56-60

रीवा जिले के नईगढ़ी ब्लाक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजनाओं के निधि की लेखा प्रणाली का अध्ययन

डॉ० अर्पणा मिश्रा
पी–एच.डी. (अर्थशास्त्र) : अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश, भारत।

सारांश
भारत गाँवों का देश है यहाँ की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण गरीब जनता जहाँ मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करती है। वही केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में भारत का कोई भी वयस्क नागरिक हो जो बेरोजगार हो इस योजना के अन्तर्गत रोजगार पाने का हकदार है। मनरेगा योजना की निति एवं क्रियान्वयन अब तक की सभी योजनाओं से अलग रही है। विकासखण्ड नईगढ़ी के मजदूर भी इस योजना से अछूते नहीं रहे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना विकासखण्ड नईगढ़ी जिला रीवा में सन् 2006 से ही लागू है। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों ने इस योजना को अपनाया शोध अध्ययन के दौरान मजदूरों की जिन समस्याओं को पाया गया वह अमानवीय है, आत्मा को झकझोर देने वाली है। मानवीय पीड़ा की पराकाष्ठा है। उनकी व्यथा एवं वेदना कुछ अलग है और कही पर इतनी समस्याएँ नही है। गरीबी क्या होती है। वो तो गरीब मजदूर ही जानते है। जिनके पास दो वक्त रोटी की व्यवस्था के लिए रोजगार नही है, आचार्य रामकृष्ण परम हंस ने कहा था, ''कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि दूसरे को मुस्कान भी न दे सके।" आज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता की यह स्थिति है कि वह स्वयं विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनैतिक समस्याओं से पीड़ित है। सरकार की योजनाएं तो बहुत सी आती हैं, लेकिन यह सभी को पता है कि भारत एक गांवों का देश है जहाँ ग्रामीण जनता दूर–दूर तक जंगलो के किनारे बसी हुई है। विकासखण्ड नईगढ़ी तो रीवा जिले का सबसे पिछड़ा ब्लॉक है जहाँ की जनता के लिए सरकारी योजनाओं का पहुँचना नामुंकिन होता है विकासखण्ड नईगढ़ी ऐसा क्षेत्र है। जहां आज तक किसी भी प्रकार का औद्योगीकरण नही हुआ यदि विकासखण्ड के लोग अपना जीवन–यापन करते है। तो कृषि एवं मजदूरी करके अन्य किसी प्रकार का रोजगार यहाँ नही मुहैया हो सका हैं केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना इसलिए चलायी गई की भारत का कोई भी नागरिक रोजगार के लिए अपना क्षेत्र छोड़ के शहरों में न जाये उसको उसके गाँव में ही रोजगार मिले, और गरीबी के स्तर को कम करके लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया जाये। लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। गरीबी का औसत कम हो सके। जिससे भारत को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बनाया जा सके। आज यदि भारत पिछड़ा हुआ है तो सिर्फ गरीबी के कारण जनसंख्या वृद्धि भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी निर्धनता आदि। समस्याएं आज भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है।

मूल शब्द : महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना, ग्राम पंचायत, ब्लाक, लेखा प्रणाली।

प्रस्तावना
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की शुरूआत कैसे हुई। इस अभियान का नतीजा है पीपल्स यूनियन फार सिविल लिर्क्टीज (पी.यू.सी.एल.) राजस्थान द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2001 में भोजन के अधिकार के लिये दायर की गयी याचिका के सन्दर्भ में हुई सुनवाई का संक्षेप मे इस याचिका के द्वारा देश में विशाल अनाजों का भण्डारन होना, भुखमरी दूर करने के लिये अविलम्ब प्रयोग में लाये जाने की मॉग की गयी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नियमित अन्तरालों पर होती आ रही है और इस पर अन्तरिम आदेश भी समय–समय पर जारी किये जा रहे है। यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल कानूनी लड़ाई से कुछ हासिल नही हो सकता। इससे प्रेरित हो कर बड़े स्तर पर भोजन के अधिकार अभियान को जन–अन्दोलन द्वारा प्रयास किया गया है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम में निधि एवं लेखा प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इस अंकेक्षण का मकसद परियोजनाओं कानूनो और नीतियो के क्रियान्वयन मे सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना होता है, निधि का एक सरल तरीका यह है कि एक खुली सभा मे संम्बन्धित परियोजना का ब्यौरा पेश किया जाय और उस पर सभी पक्षो के बीच गंभीर रूप से विचार विमर्श किया जाय। ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे इसलिए यहाँ फोरम पद का इस्तेमाल सामाजिक अंकेक्षण निधि की प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा द्वारा बुलाई जाने वाली बैठको के लिए किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना हेतु अलग से बैंक मे खाता खोला जावेगा तथा उसमे राशि जमा की जावेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना के खाते से राशि का आहरण सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा। इस योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अलग से लेखो का संधारण दोहरी लेखा प्रणाली किया जावेगा।

ग्राम पंचायत द्वारा ब्हाउचर, कैश बुक लेजर्स, बैंक समाधान विवरण, चैक रजिस्टर, कराये जा रहे कार्यो का कार्यवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत द्वारा कराये जा रहे कार्यो हेतु प्राप्त व्यय राशि का मासिक आय–व्यय विवरण आदि लेखा अभिलेख संधारित किये जावेगे। ग्राम पंचायतो के लेखा अभिलेखो का अंकेक्षण, महालेखाकार, स्थानीय निधि सम्परीक्षक जिला पंचायत के अंकेंक्षण, आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन के अंकेक्षण के द्वारा किया जा सकता है ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखा–जोखा की सत्यता चूर्ण इस योजना के लिए लेखो का संधारण दोहरा लेखा प्रणाली से किया जाता है अतः दोहरा लेखा प्रणाली क्या है जानना आवश्यक हो जाता है एवं विभिन्न खातो एवं विवरण को जानना भी आवश्यक है।

दोहरा लेखा प्रणाली

दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक व्यवहार के लेखे के दो पहलू होते है या प्रत्येक व्यवहार को दो स्थानो पर प्रभावित करना है। प्रत्येक लेन–देन के दो पक्ष होते है एक पाने वाला दूसरा देने वाला। व्यवहार के इन दोनो पहलुओं का लेखा दो भिन्न खातों में करना होता है या सरल शब्दो में प्रत्येक व्यवहार से दो पक्ष प्रभावित होते हैं।

प्रमाणन (Vouching)

अंकेक्षण के लिए हिसाब किताब की पुस्तकों के लेखों को प्रमाणित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक व्यापारिक संस्था का लेखापाल प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां करता है। प्रश्न यह है कि प्रविष्टियॉ किस आधार पर की गयी है। और इसके लिए लेखापाल के पास संस्था से सम्बन्धित क्या प्रमाण–पत्र है।

अतः रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत लेखापाल ऐसी कोई भी प्रविष्टि नही करता जिसके लिए सही तथा प्राप्ति प्रभाव नही होता। यदि करता है तो यह खातों की अशुद्धि मानी जायेगी अथवा ऐसा कार्य धोखा तथा छल कपट का उदाहरण होगा। अतः संस्था की लेखा पुस्तकों में कोई भी ऐसी प्रविष्टि न हो जिसके लिए प्रमाण न हो और ऐसा कोई प्रमाण न हो जिसकी प्रविष्टि न की गयी हो

अतः प्रमाणन से तात्पर्य खातों में की गई प्रविष्टियों की जांच है जिसके द्वारा अंकेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि समस्त लेखों तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित है एवं वे पूर्ण रूप से अधिकृत है व उनका उचित लेखा किया गया है।

कैश बुक (Cash book)

रोकड़ से आशय मुद्रा से होता है अतः रोकड़ बही से आशय उस बही से होता है जिसमें रोकड़ सम्बन्धी लेन–देन अथवा नकदी लेन–देनों का लेखा किया जाता है।

कार्टर के अनुसार

रोकड़ वही प्रारम्भिक लेखों की वह पुस्तक है। जिसमें रोकड़ प्रवित्तियों व भुगतानों का लेखा किया जाता है।

सरल शब्दों में रोकड़ वही से आशय उस पुस्तक से होता है जिसमें व्यापार सम्बन्धी सभी रोकड़ी लेन–देनों का लेखा किया जाता है। अर्थात् उस सब व्यवहारों की प्रविष्टि की जाती है। जिनके कारण व्यापार से नकद रूपयों की प्राप्ति होती हो या नकद भुगतान करते हो चाहे वो क्रय–विक्रय से, आय–व्ययों से, सम्पत्ति से या अन्य किसी भी मद से सम्बधित हो। रोकड़ बही प्रायः छोटे एवं बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के यहां रखी जाती है। इस बही में उन सभी व्यवहारों को लिखा जाता है। जो नकद होते है।

लेजर्स

श्री नार्थकॉट के शब्दों में "वह पुस्तक अथवा यान्त्रिक विधि जिसमें किसी व्यापारी के खाते है, लेजर कहलाती है।"

अगर हम यह जानना चाहे कि हमने कुल कितना माल खरीदा कुल कितना माल बेचा, कुल कितनी रकम आयी, कुल कितनी रकम दी, किस–किस व्यक्ति से पैसा लेना है और कितना लेना है, किस–किस व्यक्ति को पैसा देना है और कितना देना है। तो यह जानकारी हमें जर्नल से प्राप्त करते है।

बैंक समाधान विवरण

आधुनिक औद्योगिक एवं वाणिज्यिक युग में अधिकांश लेन–देन बैक के माध्यम से किया जाता है। इन व्यवहारों का लेखा करने के लिए व्यापारी बैंक का खाता अलग से खोलते है या फिर रोकड़ बही में बैंक का एक स्तम्भ जोड़ देते हैं जो कि एक प्रकार से बैंक खाते का ही कार्य करता है।

दूसरी ओर बैंक भी अपनी पुस्तकों में ग्राहक का खाता खोलता है और उसी खाते में ग्राहक से सम्बन्धित सभी व्यवहारों का लेखा करता है। इस लेख की एक प्रति पास बुक के रूप में या एक विवरण के रूप में ग्राहकों को एक निश्चित अवधि के उपरान्त भेजता रहता है। ताकि ग्राहक लेखों की जॉच कर सके।

रोकड़ बही का शेष एवं पास बुक का शेष हमेंशा मिलना चाहिए क्योंकि दोनों में लेखा करने का आधार एक ही लेन–देन होता है, पर व्यवहार में ऐसा होता नही। बहुधा पास–बुक के शेष और रोकड़ बही के शेष का मिलान नही होता या दोनों के शेषों में अन्तर पाया जाता है। यद्यपि दोनों ही पुस्तकों के शेष अपने–अपने स्थान पर सही होते है। इसी अन्तर को दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है।

आय–व्यय विवरण

निश्चित अवधि के अंत में कई प्राप्तियाँ एवं भुगतान देना एवं लेना रहता है। अतः इस स्थिति की जानकारी के लिए हमें आय और व्यय खाता तैयार करना चाहिए पेशेवर व्यक्ति या गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी स्थिति जानने के उद्देश्य से आय और व्यय खाता बनाती है। इसके बनाने से संस्था को यह जानकारी हो जाती है कि संस्था की वर्ष के अन्त में आय अधिक रही या व्यय अधिक रहा।

रोजगार गारंटी योजना में लेखांकन के लिए उत्तरदायित्व लेखांकन एवं मानवीय संसाधन लेखांकन विधि का उपयोग किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन भी अंकेक्षण की एक विशिष्ट पद्धति है जिसका उपयोग इस योजना में किया जाता है जिसके माध्यम से लागत के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है।

उत्तरदायित्व लेखांकन की कोई पद्धति नहीं है। बल्कि लेखों व रिपोर्टस् की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लागतों एवं संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए किसी निश्चित व्यक्ति या समूहों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। प्रबन्ध के सभी स्तरों के लिए लेखा विवरणों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि कार्यशील व्यक्ति इन विवरणों को अपनी क्रियाओं एवं लागतों को नियन्त्रित करने के लिए एक प्रभावशाली औजार के रूप में प्रयोग कर सके।

मानवीय संसाधन लेखांकन

मानवीय संसाधन लेखांकन को एक ऐसी लेखांकन पद्धति के रूप में माना जा सकता है। जिसके प्रयोग से मानवीय संसाधनों को सम्पति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती हो और अन्य भौतिक साधनों की भांति जिनके मूल्य को माप कर लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता हो।

मानवीय संसाधन लेखांकन एक संगठन के मानवीय संसाधनों में किये गये विनियोग को पहचानने व रिपोर्टस् करने का प्रयास है। मूलतः यह एक सूचना प्रणाली है जो प्रबन्ध को व्यवसाय के मानवीय संसाधनों में कालावधि में हो रहे परिवर्तनों को सूचित करती है।

व्यावसायिक संस्थाओं व जन सेवाओं में संलग्न मानवीय संसाधनों के विकास व श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए उचित लेखांकन का प्रयोग भौतिक साधनों के लिए प्रयुक्त लेखांकन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय उचित मात्रा में दक्ष व कुशल कर्मचारियों व अधिकारियों की कमी प्रायः विश्व के सभी देशों में व्याप्त है।

बजट एवं बजट नियंत्रण

रोजगार गारंटी योजना के सफल संचालन के लिए एक उचित बजट एवं बजट का नियंत्रण आवश्यक होता है। भावी वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में योजना बनाने की विधि को ही बजटिंग कहते है, और योजना को औपचारिक ढ़ंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करने पर "बजट" कहते है। वस्तुतः बजटिंग का अर्थ बजट योजना व तैयारी, बजटरी कंन्ट्रोल व अन्य सम्बन्धित विधियों से होता है। बजटिंग रोजगार गारंटी योजना में एक महत्वपूर्ण पहलू है। जिसे पंचायत स्तर पर पेश किया जाता है। बजटिंग वास्तव में एक प्रबन्धकीय विधि है और एक व्यापारिक बजट ऐसी लिखित योजना है, जिसमें भविष्य की एक निश्चित अवधि के सम्बन्ध में व्यवसाय संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है।

वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन करते समय जब इस बजट का प्रयोग किया जाता है तो उसे बजटरी नियंत्रण कहते है। बजटरी नियंत्रण वह विधि है जिसके अंतर्गत किसी कार्य, निर्माण या उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न खर्चो के स्वरूप एवं अनुमानित मात्राओं को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है तथा वास्तविक समंको की बजट से अनुमानित लागत समंको से तुलना की जाती है।

अंकेक्षण (Auditing)

अंकेक्षण के प्रबन्ध या संस्था द्वारा किये गये कार्यालय तथा लेखों की जांच स्वामी की ओर से करायी जाती है। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल रोकड़ व्यवहारों की जॉच नही है। वरन् इसके अतिरिक्त एक संस्था की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना है। जो उसके लाभ–हानि खाता (Profit & Loss Account) तथा चिठ्ठे से प्रकट होती है। इस प्रकार एक अंकेक्षण का कार्य चिठ्ठा और अन्य खातों की पुस्तकों से तुलना करने के अतिरिक्त कुछ अधिक है। उसे स्वयं को यह संतुष्टि करना चाहिए कि उसके उपलब्ध सूचना तथा स्पष्टी करणों के अनुसार पुस्तकों में लेन–देन का उपयुक्त लेखा किया गया है।

अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की गहन जाँच है पुस्तकों की जाँच करने वाले एक निष्पक्ष अंकेक्षण को हिसाब–किताब के तैयार करने में की गयी अशुद्धियों का पता लगाना होता है और आर्थिक एवं वित्तीय लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है।

अंकेक्षण रिर्पोट

अपनी अंकेक्षण रिर्पोट में अंकेक्षण को यह राय प्रगट करनी होती है कि:–

(अ) वित्तीय विवरण पत्र संस्था के कार्यकलाप तथा लाभ–हानि का सच्चा व उचित चित्र प्रस्तुत करते है।

(ब) अंकेक्षण–रिर्पोट में संलग्न वितरण पत्र में दिया हुआ विवरण सच्चा व सही है।

अंकेक्षण के कर्तव्य

अंकेक्षण को संम्भाव्य दायित्यों के लिए आवश्यक पूछताछ करनी चाहिए। यदि ऐसे दायित्व हों तो उसे चिण्ठ् में अलग से दिखाये जाने चाहिए। उसे संस्था के अधिकारियों से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिए। इतना अवश्य है कि अंकेक्षण के लिए सम्भाव्य दायित्वों के विषय में सही अनुमान तब तक आसान नही होता है। जब तक कि वह संस्था के कार्य की रूपरेखा के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नही कर लेता है।

प्रमाणन के सम्बन्ध में अंकेक्षण

1. प्रत्येक प्रविष्टि के सम्बन्ध में यह देखना चाहिए कि लेन–देन शुद्ध है, व्यापार से सम्बधित तथा हिसाब–किताब की पुस्तकों में ठीक प्रकार लिखा गया है।
2. पुस्तकों की प्रविष्टियों की पृष्ठभूमि की जाँच की जानी चाहिए तथा यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि ये तथ्यों पर आधारित है। यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक लेन–देन के सम्बन्ध में उनके नियोक्ता को लाभ प्राप्त हुआ है।
3. प्रत्येक प्रविष्टि के लिए अधिकार की खोज की जानी चाहिए तथा यह विश्वास किया जाना चाहिए की पुस्तके व्यापार के कार्यकलाप का सही प्रतिनिधित्व करती है या नही।

राशि भुगतान व्यवस्था

महात्मा गाँधी रोजगार गारण्टी योजना के हेतु अलग से बैंक खाते खोले जाते है। जिनमें राशि का अंहरण किया जाता हैं।

समंको का संकलन

संमक किसी भी अध्ययन के निकाले गये निष्कर्षो के लिए आधार प्रदान करता है। समंको के मुख्यतः दो स्रोत है– पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत मुख्यतः निरीक्षण या अवलोकन, साक्षात्कर, अनुसूची व प्रश्नावली के माध्यम से सूचनाए एकत्र कि जाती है। यहाँ पर हमने अपने शोध प्रबन्ध द्वितीयक तथ्य सामग्री का प्रयोग किया है, जो कि पत्र–पत्रिकाओं, वार्षिक प्रतिवेदन अखबारों शोध रिपोर्ट आदि से एकत्र किया गया है।

शोध क्षेत्र में पूर्व में किये गये कार्य का विवरण

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अध्ययन का चयनित विषय रोजगार के नये कार्यक्रम पर केन्द्रित है जिसका मूल्यांकन का कार्य अभी होने की प्रक्रिया में है। अतः विषद अध्ययन तथा समीक्षात्मक मूल्यांकन निरंन्तरता की दिशा में है। मध्यप्रदेश राज्य में यह योजना विधान के अनुसार राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से अधिग्रहित एवं प्रतिस्थापित है, और पूरे प्रदेश में क्रियान्वित है, इस योजना द्वारा इतने परिणाम में field work हो गया है कि वह शोध का विषय बन गया है।[1–16]

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

01 Jun 2013 से सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के पहले चरण की घोषणा की है जिसे देश के बीस जिलों में लागू किया गया है। फिलहाल इसके सात कार्यक्रम शामिल किए गए है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना का उद्देश्य है कि लोगों को मिलने वाले लाभ और हक जीव–सांख्यिकीय आधार कार्ड से जुडे उनके बैंक खाते में सीधे जमा कराया जाए। और इस प्रकार विचौलिया व्यवस्था को छोटा किया जा सके और उसमें लगने वाली देरी को कम किया जा सके। यह कार्य जीव सांख्यिकीय (बायोमेट्रिक) माइक्रो एटीएम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे व्यापार प्रतिनिधियों के सघन नेटवर्क के माध्यम से किया जाएगा। लधु एटीएम को साथ लेकर चलने वाला बीसी का एक ऐसा अर्तप्रचलनीय नेटवर्क तैयार किया है जिससे लाभार्थी को उसके घर पर ही बैंकिग सुविधा प्राप्त हो सके। इससे बैंक की शाँखा के व्यवहार में लगने वाले समय की बचत होगी।

सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य किये गये कार्य की गुणवत्ता का आकलन एवं योजनान्तर्गत कार्य कराने वाले कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं का मूल्यांकन होगा। इस प्रकार सभी उपकल्पनाओं का मूल्यांकन करके निष्कर्षों को प्राप्त किया जायेगा जो नईगढ़ी ब्लॉक के विकास में सहयोग प्रदान करेगा।

पंचायत निर्माण, कार्य, लेखा

नईगढ़ी ब्लॉक में ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना सुचारू रूप से संचालित है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। ग्राम सभा में कार्य का प्रस्ताव तैयार किया जाता है तथा TS तकनीकी स्वीकृत इंजीनियर के द्वारा की जाती है एवं AS आकलन स्वीकृति ग्राम पंचायत की निर्माण एजेन्सी सरपंच एवं सचिव द्वारा की जाती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर परिवार के वयस्क व्यक्तियों को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तत्पर है एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 से 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर अजीविका सुनिश्चित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सम्पतियों का सृजन करना है। योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वयस्क व्यक्ति जिनका स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीयन हो जिन्हे ग्राम पंचायत से परिवार को जॉब कार्ड मिला हो तथा अकुशल मानव श्रम करने को इच्छुक हो उन्हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में कार्य उपलब्ध करवाया जा रहा है। रोजगार की योग लिखित आवेदन के रूप में की जाएगी। इस आवेदन पत्र में परिवार का जॉब कार्ड नं. जिसे कार्य की आवश्यकता है उसका नाम उसे कब से कब तक कार्य की आवश्यकता है इसका उल्लेख होना जरूरी है। प्राप्त आवेदन को रोजगार रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पावती सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दी जाएगी तथा उस व्यक्ति को कहॉ पर काम पर लगाना है यह प्रस्तावित किया जाएगा। उसका विवरण भी रोजगार रजिस्टर में लिखा जाएगा। प्रस्तावित कार्य की सूचना रोजगार की मॉग करने वाले व्यक्ति को लिखित में दी जायेगी तथा उसकी पावती भी रिकार्ड में रखेंगे।

सारणी 1: कपिल धारा उपयोजना के अंतर्गत लिये जा सकने वाले कार्यो के मानक व इकाई लागत कुएं के मॉडल मानक तथा इकाई लागत

क्र0	भू–गर्भीय संस्तर का प्रकार	व्यास (मीटर)	गहराई (मीटर)	लाईनिंग(मीटर)	इकाई लागत (रूपये में)
1.	बेसाल्ट	5.00	12.00	3.00	42100
2.	बेसाल्ट को छोड़ कर अन्य कड़ी चट्टाने	4.00	12.00	3.00	29500
3.	अलूवियम में ब्रिक लाईनिंग के साथ	2.5	20.00	20.00	39600
4.	अलूवियम में RCC लाइनिंग के साथ (Ring Well)	2.00	10.00	10.00	25100

स्त्रोतः– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम (म.प्र.) पृष्ठ संख्या–68

कुये के साथ भूजल रिचार्ज पिट का आकार – 3मी. x 3मी. x 3मी. तथा लागत रू. 3500।

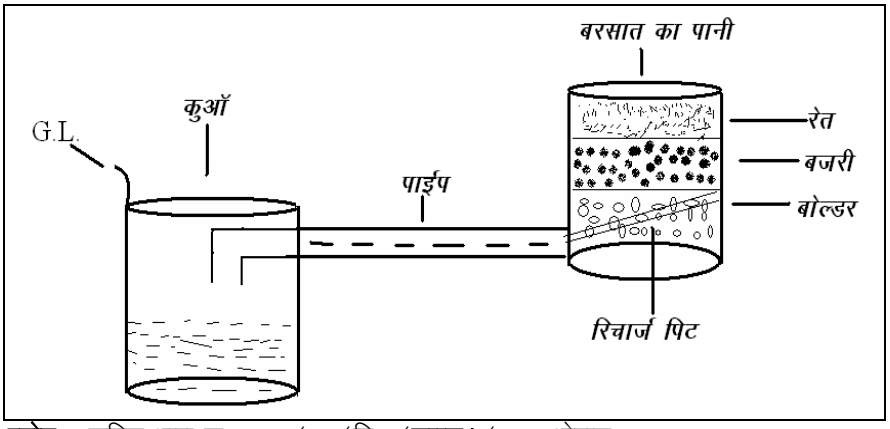

स्त्रोतः– कपिल धारा क्र. 6077/22/वि.7/**छत्म्ळ**।/2007 भोपाल

आकृति 1

शोध क्षेत्र नईगढ़ी जनपद पंचायत में 10 ग्राम पंचायत का अध्ययन छत्म्ळ। पुस्तिका के माध्यम से किया गया। ग्राम पंचायत अल्हौहा जिसकी दूरी जिला मुख्यालय से 57 कि.मी. हैं तथा अन्य ग्राम पंचायत जहाँ सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के माध्यम से शोधार्थी इन पंचायतों का अध्ययन किया बहेरा ग्राम पंचायत, बेला कामोद, जोरौट, जुड़मनियाँ रघुनाथ, खैरा, मनकहरी, पिपरा, पुरौनी, उमरिया, ब्यौहरान, आदि ग्राम पंचायतों का अध्ययन कुल योग के अनुसार निम्न प्रकार है–

सारणी 2: Financial Performance under Narega during जीम लमंत 2011.12 नच जव डंतबी 2012

S.No.	Panchayats	Actual Obason Ist Apirl of the Years	Total Availa bility	Camulative Expenditure						Balance Left
				On Unskilled wage	On semi skilled and skilled wage	On Material	On Contin-gency	Total	Trfunded to Dpe/Po	
1	Alauha	2.04216	2.04216	1.96226	0	0.72442	0	2.68668	0	-0.645
2	Behera	1.62284	1.62284	4012272	0	2.90928	0.138	7017	0	-5.547
3	Bela Kamod	0.75489	0.75489	4.05914	0	0.66	0.078	4.7914	0	-4.042
4	Joraut	2.02999	2.02999	8.20816	0	2.42599	0	10.634	0	-8.604
5	Jurmniya Raghunath	2.77856	2.77856	3.258	0	2.59471	0	5.853	0	-3.075
6	Kharra	1.26466	1.26466	1.84186	0	0.55746	0	2.39952	0	-1.135

7	Mankahari	1.301	1.301	0.38068	0	0.445	0	0.825	0	-0.475
8	Pipara	0.54624	0.54621	7.12968	0	7.81854	0	14.94	0	-14.402
9	Puraini	4.72754	4.72754	7.882	0	6.50784	0	14.38	0	-9.662
10	Umariya Baiuhtiyan	2.16567	2.16567	1.61244	0	2.4165	0.09	4.11894	0	-1.953
	Total	19.23354	19.23352	40.45692	0	27.05974	0.306	67.7977	0	49.54

BP Level Expenditure

स्त्रोतः– NREGA 2009-10 Month 2012BP Level Grand Total नईगढ़ी जनपद (समीक्षा पुस्तिका)

शोध क्षेत्र नईगढ़ी विकासखण्ड में रोजगार गारण्टी नंदन फलोउद्यान योजना के तहत उपरोक्त फसले की जा रही है। अर्न्तवीय फसलों का उत्पादन शुरू होने से लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता रहता है।

महात्मा गाँधी रोजगार गारण्टी योजना शोध क्षेत्र नईगढ़ी विकासखण्ड में पंचायत कार्य लेखा का अध्ययन शोधार्थी द्वारा व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं नईगढ़ी विकासखण्ड प्रगति प्रतिवेदन समीक्षा बैठक द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के माध्यम से पंचायत कार्य लेखा जैसे–नंदन फलोउद्यान योजना, निर्मल वाटिका, कपिल धारा योजना, भूमि शिल्प उपयोजना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर एम.आई. सी. फीड्रिग ऑकडों सलग्नीकरण एवं 10 ग्राम पंचायतों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया हैं। शोध क्षेत्र नईगढ़ी विकासखण्ड में कपिल धारा योजनान्तर्गत प्रारंभ से अब तक उपयोजनाओं की प्रगति की समीक्षा अक्टूबर माह में वर्ष 2012–13 में की गई। नईगढ़ी जनपद में स्वीकृत कार्यो में 563 में से पूर्ण कार्य 363 रहा। इसमें कार्यरत मजदूरों से पंचायत के खातों के `माध्यम से समय–समय पर भुगतान किया गया। एवं विभिन्न बेरोजगारों व्यक्तियों को इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया। इससे बेरोजगारों को रोजगार तो प्राप्त हुआ ही साथ ही साथ गावों में पानी के एक़ीकरण एवं पीने के पानी की समस्या का निवारण हुआ। अतः शासन को इस प्रकार की योजनाओं को नियमित चलाते रहना चाहिए।

शोध क्षेत्र नईगढ़ी विकासखण्ड में महात्मा गाँधी रोजगार गारण्टी योजना पंचायत कार्य लेखा का काम 10^{th} .11^{th}. 12^{th} वित्तीय आयोग के अंतर्गत पूर्ण। अप्रारंभ कार्यो को निम्न उपयंत्रियों के माध्यम से किया जा रहा है।

सारणी 3: योजनागत परीक्षण हेतु सौपें गये कार्यो की संख्या

क्र0	जनपद पंचायत	उपयंत्री का नाम	योजनागत परीक्षण हेतु सौपें गये कार्यो की संख्या
1.	नईगढ़ी विकासखण्ड	श्री अशोक तिवारी	05
		"वी.एन. गुप्ता	17
		"हरीश शर्मा	13
		"दीपक सोनी	07
		"गोविन्द चक्रवर्ती	06

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि पंचायत कार्यलेखा परीक्षण अशोक तिवारी, को 5 ग्राम पंचायत, वी.एन.गुप्ता को 17 ग्राम पंचायत, हरीश शर्मा को 13, ग्राम पंचायत, दीपक सोनी को 07 एवं गोविन्द चक्रवर्ती को 06 कार्य परीक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

नईगढ़ी जनपद पंचायत में पंचायत कार्य को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पंचायत कर्मी की नियुक्ति धारा 69 के प्रकरणों की जानकारी जनपद पंचायत में कुल पंचायत कर्मी सचिव 73 ग्राम पंचायतों में नियुक्ति की गई है। 03 ग्राम पंचायत खर्रा, शाहपुर एवं मुड़िला में नियुक्ति करना शेष है। धारा 69 से निलम्बित ग्राम पंचायत गेरूआरी एवं जोधपुर फस्ट (first) है।

अतः महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना नईगढ़ी जनपद पंचायत के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत कार्य लेखा का काम निर्माण एजेन्सी सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें वास्तविकता यह है कि फील्ड में काम तथा लोगों को रोजगार कम देखने को मिलता है तथा आंकड़ों में सभी कार्य एवं सभी को रोजगार प्राप्त दिखाया जाता है।

निष्कर्ष

मनरेगा योजना का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव तो पड़ा ही जहाँ लोगों को दो वक्त रोटी जुटाने के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ता था तथा अन्य शहरों में रोजगार के लिए जाना पड़ता था वही मनरेगा योजना ने इस समस्या का समाधान तो जरूर की है लेकिन जितनी सुविधाएँ होनी चाहिए उतना नही हो पायी। मनरेगा योजना का प्रभाव नईगढ़ी विकासखण्ड पर जरूर पड़ा समस्या उस क्षेत्र की है जहाँ सरकार की योजनाओं का पहुंच पाना नामुंकिन होता है ये वो क्षेत्र है जहाँ लोग निवास करते है विकासखण्ड नईगढ़ी के पूर्वी क्षेत्र 15 से 20:30 कि.मी. की दूरी पर जहाँ अभी तक बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि की व्यवस्था नहीं पहुंच पायी है, इस योजना का प्रभाव धीरे–धीरे लोगों पर पड़ रहा है।

सन्दर्भ

1. त्रिवेदी आर.एन. रू रिसर्च मैथडोलॉजी, कालेज बुक डिपो, जयपुर–2000.
2. मुखर्जी रवीन्द्र नाथ एवं अग्रवाल :सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, विवेक प्रकाशन दिल्ली– 2002
3. रावत, हरिकृष्ण रू समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली–2002
4. मल, पूरण रूअस्पृश्यता एवं दलित चेतना, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर–1999
5. बघेल डी.एस.रूसामाजिक अनुसन्धान, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा–1999.
6. श्रीवास्तव के.एन. रूह्वाट इज 'रूरल' रूरल इण्डिया (मार्च–अप्रैल 1961), पृ. 86
7. कुरूक्षेत्र जनवरी, 2010 रू ग्रामीण भारत को समर्पित, पृ. 20–21
8. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका रूजिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय, 2010, 2011 जिला रीवा (म.प्र)
9. योजना आयोग 2009–2010 रू सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
10. दैनिक जागरण रू दैनिक अखबार (रीवा)
11. दैनिक भास्कर : दैनिक अखबर (सतना–रीवा)
12. विन्ध्य विकास पत्रिका रू विन्ध्य प्रकाशक रीवा
13. बघेल खण्ड का इतिहास रू रीवा
14. जिला उघोग एवं लघु रू रीवा उधोग केन्द्र
15. जिला रोजगार केन्द्र रू रीवा
16. मनरेगा जिला कार्यालय रीवा रू प्रकाशित अभिलेख एवं डाटा